प्रेस विज्ञप्ति
17.03.2026

ईडी ने जैस्मिन शॉ और 7 अन्य के खिलाफ यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन के फंड से 1.44 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियोजन शिकायत दायर किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 16/3/2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) –I, एर्नाकुलम के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत जैस्मिन शाह (यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन) के मामले में अभियोजन शिकायत दायर किया है।

त्रिशूर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 के तहत जसमिनशा एम (राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूएनए), उनकी पत्नी श्रीमती शबना एम ए, शोबी जोसेफ, बिबिन एन पॉल, निधिन मोहन, जितु पीडी, सुजानपाल ए के और सुदीप एमवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि 2017-2019 के बीच, आरोपियों ने साजिश रचकर और यूएनए के उपनियमों का उल्लंघन करते हुए, संगठन के फंड का दुरुपयोग किया। उन्होंने निजी खातों में धन का हस्तांतरण किया, दस्तावेजों में हेराफेरी की और इसका इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए किया, जिससे लगभग 1.44 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित हुई।

09.03.2026 को, ईडी ने अंतरिम कुर्की आदेश जारी करते हुए आरोपियों के नाम पर लगभग 1.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक सावधि जमाओं (मलप्पुरम, पलक्कड़, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में भूमि और बैंक सावधि जमा) को कुर्क कर लिया।

सभी आरोपियों से पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। ईडी मुकदमे की कार्यवाही करेगी और दोषी पाए जाने पर कुर्क की गई संपत्तियों की अंतिम ज़ब्ती करेगी।

ईडी जन कल्याण संगठनों से अपराध की आय का पता लगाने और उसे वसूलने के लिए प्रतिबद्ध है।